

E-Mail

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.4(4)साप्र/5/2016

जयपुर, दिनांक: 08.03.2017


—: आदेश :—

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 13.02.2017 द्वारा जारी किये गये आवंटन आदेश के तहत निम्नलिखित आवंटी को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उनको आवंटित आवास की कब्जा अवधि पत्र जारी होने की तिथि से **तीन दिवस** तक बढ़ाई जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	आवंटी का नाम	आवास संख्या
1	शकुन्तला चौधरी, डेमोग्राफी (डीडी), निदेशक (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर	ए-2, बजाजनगर अपार्टमेन्ट

उक्त आवंटी को निर्देशित किया जाता है कि उन्हें आवंटित आवास का कब्जा **तीन दिवस** में लेकर इस विभाग को सूचित करें। उक्त अवधि में आवास का कब्जा नहीं लेने पर आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जावेगा। आवंटन की शर्तें पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 13.02.2017 अनुसार रहेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से


(इन्द्र सिंह राव)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर ।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0 विभाग,(विधुत वृत्त) जयपुर ।
5. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
6. अधिशाषी अभियन्ता, /सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, को भेजकर लेख है कि कृपया विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.02.2017 की शर्तें संख्या-6 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा दें।
7. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि0वि0निगम लि. गांधीनगर, जयपुर।
8. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष जयपुर।
9. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी।
10. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
12. निजी सहायक, शासन उप सचिव (ए) सामान्य प्रशासन विभाग।
13. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करवें।
14. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

E-Keel

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.4(4)साप्र/5/2016


जयपुर, दिनांक: 08.03.2017

—: आदेश :—

इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक: प.4(4)साप्र/5/2016 दिनांक 13.02.2017 एवं 14.02.2017 के द्वारा निम्नांकित आवंटियों को उनकी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किये गये बजाज नगर अपार्टमेन्ट के अस्थाई आवास का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम व पद	ग्रेड-पे	पूर्व वरियता संख्या	नवीन वरियता संख्या	सेवानिवृत्ति तिथि	आवंटित आवास संख्या
1.	डॉ० मुक्ता मील, सहायक आचार्य, पैथालोजी विभाग, सवाई मानसिंह, आर्युविज्ञान महाविद्यालय, जयपुर	6600/-	58	27/2016	2050	बी-1-18, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
2.	आशा पाल मोर्य, प्रशिक्षु लेखाधिकारी राजस्थान लेखा सेवा, अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन) एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशिक्षण), हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर	5400/-	27	16/2016	31.05.2047	ए-3, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
3.	श्री भूशमल मीणा, चिकित्सा अधीक्षक, एस.एम.एस. हॉस्पिटल, जयपुर	6000/-	54	1/2013	31.07.2022	सी-11-36, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
4.	श्री त्रिलोक चन्द तिवाडी वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-11, निदेशालय संस्कृत शिक्षा राज. जयपुर	5400/-	57	3/2013	31.01.2026	ई-52, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
5.	श्री रोहित कुमार अग्रवाल नर्स-11, गणगोरी बाजार होस्पि. एस.एम.एस. हॉस्पिटल, जयपुर	4200/-	73	6/2013	31.01.2042	एच-11-96, बजाजनगर अपार्टमेन्ट

राज्यपाल की आज्ञा से


(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर ।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर ।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि० विभाग, (विधुत वृत) जयपुर ।
5. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर ।
6. अधिशाषी अभियन्ता, /सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर ।
7. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि०वि०निगम लि. गांधीनगर, जयपुर ।
8. अधीक्षक, सवाई मानसिंह अस्पताल ।
9. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष जयपुर ।
10. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी ।
11. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग ।
12. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, साप्रवि ।
13. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव (ए) सामान्य प्रशासन विभाग ।
14. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें ।
15. रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त शासन सचिव